राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक एफ 8(8)वियो/ग्रुप–1/99 जयपुर, दिनांक: 29/05/06

–आदेश–

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.2.06 में संशोधन करते हुए कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र एफ 9(2)(59)कार्मिक/क–3/97पार्ट–I दिनांक 23 जुलाई, 2001 की अनुपालना में कार्य स्थल पर काम–काजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं ऐसी गठित घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु समिति की निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :–

1. श्रीमती पवित्रा भट्ट, अध्यक्ष
   सांख्यिकी सहायक (ग्रा.रो)
2. श्री प्रहलाद चन्द शर्मा सदस्य
   परियोजना अधिकारी (प्रशासन)
3. श्री रमन पारीक सदस्य
   अध्यक्ष, अखिल राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग कर्मचारी संघ
4. श्रीमती कुसुम जैन सदस्य
   वरिष्ठ लिपिक
5. श्री उत्तम सिंह सदस्य सचिव
   मुख्य विधि सहायक

उक्त समिति ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक/अधीनस्थ सेवा के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेगी। उक्त समिति प्राप्त शिकायतों/क्रियाकलापों की समीक्षा 3 माह में एक बार करेगी, जिसका पूर्ण कार्यवाही/विवरण सदस्य सचिव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। शिकायतों का इन्द्राज एक रजिस्टर में किया जायेगा, जिसका संधारण कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

साथ ही शिकायत समिति के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 30 जून तक सदस्य सचिव द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को भिजवायी जायेगी।

ह०—
शासन उप सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–ख–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (समस्त) ग्रामीण विकास विभाग, राज0, जयपुर।
6. समिति के समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
7. नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी